## <u>न्यायालय–दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> तहसील बैहर, जिला–बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—336 / 2017</u> संस्थित दिनांक—21.07.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन

// विरूद्ध //
दाउद उर्फ शर्मा उर्फ गुड्डु उर्फ देवेन्द्र पिता पालिसंह मरकाम, उम्र—32 वर्ष,
निवासी—वार्ड नं—13, मुशीटोला बैहर, थाना बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

## // <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक—13/11/2017 को घोषित)</u>

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-07.07.2017 को समय दोपहर 13:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत गांधी चौक में जो कि एक सार्वजनिक स्थान हैं, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी (I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का लोहे का धारदार चाकू(कत्ता) बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा। अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि जब दिनांक-07.07.17 को भगतसिंह कुंजाम पुलिस थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को वह हमराह आरक्षक क्र—1049 सेनिक क्र—245 के साथ कस्बा भ्रमण के लिए रवाना हुये थे, तब उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गांधी चौक बैहर में निखिल जैन की दुकान के सामने मुंशीटोला का दाउद शर्मा लोहे का चाकू दिखाकर मोहल्ले के लोगों को तथा आने-जाने वाले लोगों को चमका रहा है तथा मारने की बात कर रहा है, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ के गांधी चौक बैहर पहुंचे, वहां पर अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा हाथ में लोहे का एक चाकू रखे मिला था, जो मोहल्ले वालों को तथा आने-जाने वालों को डरा-धमका रहा था और मरने-मारने की बात कर रहा था। अभियुक्त चिल्लाकर लोहे का चाकू दिखाकर लोगों को भयभीत कर रहा था। अभियुक्त से लोहे का चाकू रखने के संबंध में लायसेंस होने के संबंध में पूछा गया तो अभियुक्त ने उसके पास लायसेंस नहीं होना बताया था, तब साक्षी निखिल जैन, मनीष दीक्षित के समक्ष अभियुक्त से एक चाकू जिसकी कुल मुठी की लंबाई 11.50 से.मी., चौड़ाई 3 से.मी., उपरी सीधा हिस्सा 32 से.मी. तथा धार की लंबाई 20.50 से.मी. जप्त किया था एवं पुलिस ने अभियुक्त से जप्त चाकू अपने कब्जे में लेकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमांक—99/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

- 3— अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धारा का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 4— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

## 5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—07.07.2017 को समय दोपहर 13:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत गांधी चौक में जो कि एक सार्वजनिक स्थान हैं, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना कमांक—6312—6552—II—बी (I) दिनांकित—22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का लोहे का धारदार चाकू(कत्ता) बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा था ?

## विवेचना एवं निष्कर्ण :-

6— जप्तीकर्ता अधिकारी भगतिसंह कुंजाम अ.सा.1 ने बताया है कि दिनांक—07.07.17 को वह वारंटियों की तलाश के लिए हमराह आरक्षक क—1049, सैनिक क-245 को साथ लेकर रवाना हुए थे। कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांधी चौक बैहर में निखिल जैन की दुकान के सामने मुंशीटोला में अभियुक्त दाउद उर्फ शर्मा लोहे का चाकू दिखाकर मोहल्ले के लोगों को एवं आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा था एवं जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे लोगों में भय व्याप्त था। हमराह स्टाफ आरक्षक कुंवरसिंह धुर्वे, सैनिक महिपाल के साथ जप्तीकर्ता अधिकारी गांधी चौक बैहर पहुंचे थे, तब अभियुक्त लोगों को चाकू से डरा-धमका रहा था। अभियुक्त से साक्षी ने चाकू जप्त कर प्रदर्श पी-1 का जप्तीपंचनामा बनाया था। सबसे पहले जप्तीकर्ता अधिकारी ने अभियुक्त से जप्त चाकू की जप्ती की कार्यवाही की थी। उसके बाद जप्तीकर्ता अधिकारी ने थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-2 है। उसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–3 बनाया था एवं अभियुक्त से चाकू जप्त कर चाकू का छायाचित्र बनाया था, जो प्रदर्श पी-4 है। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–3, चाकू का छायाचित्र प्रदर्श पी-4 पर साक्षी के क्रमशः ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त से जप्त चाकू आर्टिकल ए—1 है, जिस पर जप्ती चित्र संलग्न है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने साक्षी निखिल जैन के कथन उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे

7— घटना के अन्य साक्षी निखिल जैन अ.सा.2 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि वह अभियुक्त को शक्ल से जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से 3—4 माह पूर्व की गांधी चौक पुराने सेंट्रल बैंक के पास की रमा ग्लास दुकान के पीछे की बैहर की है, वहां पर अभियुक्त चोरी कर रहा था एवं वहां पर हल्ला हो रहा था, भीड़ लगी थी, तब साक्षी के पिता, भाई एवं साक्षी घटनास्थल पर गए थे, मोहल्ले के लोगों ने अभियुक्त को पकड़कर रखा था। उसके बाद पुलिस आई थी। अभियुक्त के पास लोहे के चाकू से बड़ा काले रंग का हथियार था, जिसकी लंबाई—चौड़ाई साक्षी को पता नहीं है। अभियुक्त धमकी दे रहा था कि वह छूटकर आएगा तो सभी को देख लेगा। साक्षी के सामने अभियुक्त से लोहे के चाकू जैसा हथियार जप्त किया था। पुलिस ने जप्तीपंचनामा घटना के दूसरे दिन थाने पर बनाया था, जो प्रदर्श पी—1 है, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने अभियुक्त को रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्त का गिरफ्तारी पंचनामा कहां बनाया था, साक्षी को पता नहीं है।

गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—3 है, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने अभियुक्त से जो हथियार जप्त किया था, उसका छायाचित्र थाने में बनाया था, तब साक्षी ने प्रदर्श पी—4 के छायाचित्र के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे।

8— मनीष दीक्षित अ.सा.3 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 3—4 माह पूर्व की डिस्क के केबल के पास की बैहर की है। घटना के समय अभियुक्त घटनास्थल पर चोरी कर रहा था। उक्त साक्षी की दुकान से अभियुक्त केबल का सामान एवं छत पर रखा हुआ सामान निकालकर चोरी कर रहा था, तब 4—5 लड़कों ने अभियुक्त को रात्रि में पकड़ लिया था, उसके बाद बैहर थाने की पुलिस आई थी। अभियुक्त के पास चाकू से बड़ा एक तलवार से छोटा हथियार था। पुलिस ने वहां पर जप्ती बनाई थी। साक्षी से घटना के दूसरे दिन थाने पर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—1 के सी से सी भाग पर हस्ताक्षर पुलिस ने कराए थे। पुलिसवाले अभियुक्त को पकड़कर ले गए थे। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—3 के सी से सी भाग पर साक्षी ने हस्ताक्षर थाने पर किये थे। पुलिस ने अभियुक्त से जप्त हथियार का छायाचित्र प्रदर्श पी—4 बनाया था। साक्षी ने प्रदर्श पी—4 के छायाचित्र के सी से सी भाग पर थाने पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने साक्षी से पूछताछ कर कथन लिये थे।

9— जप्तीकर्ता अधिकारी भगतिसंह कुंजाम ने अभियुक्त से घटनास्थल पर चाकू जप्त करना बताया है, परंतु प्रदर्श पी—1 के जप्तीपंचनामा के साक्षी निखिल जैन अ.सा.2 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि पुलिस ने जप्तीपंचनामा, घटना के दूसरे दिन थाने पर बनाया था। मनीष दीक्षित अ.सा.3 ने भी उसकी साक्ष्य में प्रदर्श पी—1 के जप्तीपंचनामा पर थाने पर हस्ताक्षर करना बताया है, जबिक प्रदर्श पी—1 के जप्तीपंचनामा में जप्ती का स्थान गांधी चौक बैहर लिखा है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य संदिग्ध हो जाता है कि जप्तीकर्ता अधिकारी ने घटनास्थल पर अभियुक्त से जप्त चाकू की जप्ती की कार्यवाही की थी या नहीं। निखिल जैन अ. सा.2 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—3 में स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा जप्तीपंचनामा की कार्यवाही थाने पर की थी और वहीं पर उसके हस्ताक्षर कराए थे। प्रदर्श पी—1 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी—3 के गिरफतारी पंचनामा के

स्वतंत्र साक्षी मनीष दीक्षित अ.सा.३ ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त को घटनास्थल पर से ले जाते समय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर कोई लिखा-पढ़ी नहीं की थी। दूसरे दिन साक्षी थाने पर यह जानकारी लेने गया था कि क्या कार्यवाही हुई, तब पुलिस ने उससे थाने पर हस्ताक्षर कराएं थे। जबकि प्रदर्श पी—1 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी—3 के गिरफ्तारी पंचनामा में घटनास्थल गांधी चौक बेहर लिखा है, ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता अधिकारी की जप्ती की कार्यवाही संदिग्ध दर्शित होती है। प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा में नमुना सील का उल्लेख नहीं है एवं जप्तीकर्ता अधिकारी ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उन्होंने अभियुक्त से जप्त चाकू को घटनास्थल पर सील्ड किया था। जप्तीकर्ता अधिकारी ने प्रकरण में घटनास्थल पर वारंटियों की तलाश मे रवानगी एवं वापसी का रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराया गया है। प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी-3 के गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षीगण एवं जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 का जप्ती पंचनामा एवं प्रदर्श पी-3 का गिरफ्तारी पंचनामा किस स्थान पर बनाया था, इस संबंध में विरोधाभास है। प्रदर्श पी-3 के गिरफ्तारी पंचनामा में समय के संबंध में ओव्हरराईटिंग है। उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य की उपरोक्तानुसार की गई विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा—25(1—बी) बी सहपठित धारा—4 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में अभियुक्त दिनांक—07.07.2017 से निर्णय दिनांक—13.11.2017 तक अभिरक्षा में रहा है। इस संबंध में धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही / – (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट सही / – (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट